



द्रोपदी मूर्मु सोमवार को देश की पन्द्रहवीं राष्ट्रपति बनीं। इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वे देश की दूसरी महिला एवं आदिवासी समुदाय की पहली नेता हैं। इसके साथ ही वे स्वतंत्र भारत में जन्मी देश की प्रथम और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अपने प्रथम संबोधन में कहा कि "मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप ना केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं और मेरा राष्ट्रपति बनना देश के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है तथा इस बात का प्रमाण भी है कि भारत में गरीब सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।" शपथ ग्रहण समारोह के बाद मूर्मु और निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद संसद भवन से पारंपरिक तरीके से काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गये। राष्ट्रपति भवन में मूर्मु ने सेना के तीनों अंगों की सलामी ली। कोविंद ने मूर्मु के साथ राष्ट्रपति कार्यालय तक छोड़ने की औपचारिकता पूरी की। इसके कुछ देर बाद उन्होंने सलामी गार्ड की अंतिम सलामी ली और विदाई समारोह के बाद वह राष्ट्रपति भवन से अपने नये निवास की ओर रवाना हो गये। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए संसद भवन आने से पहले मूर्मु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट गई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

‘कोर्ट में झूठी जानकारी देने पर कार्रवाई की क्या है व्यवस्था’

जयपुर, 25 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की ओर से अदालत में झूठी व गलत जानकारी देने को गंभीर मानते हुए गृह सचिव और डीजीपी को 5 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि पुलिस विभाग के इस रवैये को दूर करने के लिए क्या विभागीय कार्रवाई की गई और इसका क्या एक्शन प्लान है। जस्टिस समीर जैन ने ये आदेश गांजा तस्करी के मामले में आरोपी लूशी की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करके दे दिए। अदालत ने कहा कि बार-बार देखा जाता है कि पुलिस कोर्ट में झूठी, गलत और पुरानी जानकारी दे रही है। इससे न्याय की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ऐसा होना गंभीर व व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ और संवैधानिक अधिकारों का हनन है। याचिका में कहा गया कि अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में न होने पर भी उसे आरोपी बनाया। वहीं कोर्ट में उसके खिलाफ गलत जानकारी देकर चार केस लंबित होना बताया, जबकि उसके खिलाफ दो केस ही लंबित हैं और वह

राजस्थान हाई कोर्ट ने, कोर्ट को झूठी व गलत जानकारी देने को गंभीर मानते हुए गृह सचिव को कोर्ट में 5 अगस्त को हाजिर होकर जवाब पेश करने के आदेश दिये।

दो केसों में बरी हो गई है। अदालत के निर्देश की अनुपालना में अजमेर एसीपी चूनामार जाट ने पेश होकर माना कि पुलिस विभाग से गलती हुई है और जांच रिपोर्ट बनाने वाले पुलिसकर्मी को चार्जशीट दे दी गई है। वहीं सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि कोर्ट से बरी होने के बाद इसकी सूचना जेल प्रशासन को मिलती है, लेकिन संबंधित थाने में इसकी सूचना पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। संबंधित व्यक्ति ही थाने में अपने बरी होने के बारे में जानकारी देता है। इसलिए जो रिपोर्ट पुलिस देती है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इस पर अदालत ने गृह सचिव और डीजीपी को पेश होकर जानकारी देने को कहा है।

कोटा बैराज के 11 गेट खोले

कोटा, 25 जुलाई (नि.सं.)। चंबल के कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात की वजह से चंबल का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए चंबल पर बने बांधों के गेट खोल कर पानी की निकासी की जा रही है। जवाहर सागर बांध से 90,000 क्यूसेक लीटर पानी आने के कारण कोटा बैराज के 11 गेट खोलकर 1,10,000 क्यूसेक लीटर पानी की निकासी की गई है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है और इसके 19 गेट हैं। यहाँ से एक साथ अधिकतम साढ़े सात लाख क्यूसेक लीटर पानी की निकासी की जा सकती है। इससे लगभग साढ़े छः लाख हैक्टियर भूमि सिंचित होती है।

वर्तमान में कोटा बैराज का जलस्तर 853 फीट 50 फीट पहुंच गया है। इसको 852 फीट तक मॉन्टर करना है। पानी की आवक होने से 19 में से 6 गेट 5-5 फीट व पांच गेट चार-चार फीट तक खोले गए हैं। एक लाख क्यूसेक लीटर से अधिक पानी निकासी के कारण निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा हो गया है, और जिला प्रशासन के द्वारा निचले इलाकों

जवाहर सागर बांध से पानी आने की वजह से कोटा बैराज से 1.10 लाख क्यूसेक लीटर पानी की निकासी की गई। इससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है।

बारिश की वजह से चंबल का जल स्तर बढ़ रहा है इसलिए चंबल पर बने बांधों से पानी की निकासी करनी पड़ रही है।

में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोटा बैराज के 11 गेट खोलने के पश्चात लोगों की भीड़ पानी की निकासी को देखने के लिए उमड़ पड़ी। ऐसे में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस को भारी मशकत करनी पड़ी। लोगों की भीड़ सेल्फी लेती नजर आई।

ममता बर्नर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) टिप्पणी में कहा है कि पार्थों के पैसों से पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। ममता द्वारा अपने इस पूर्व साथी एवं सहयोगी के समर्थन पूरी तरह हाथ खींच लेना बहुतांश को हतोत्साहित करने वाला सिद्ध होगा। उनके ये वफादार अधिकांशतः उनके ही हुक्म पर कार्य किया करते थे। अब अगर वे किसी झंझट में फंसेंगे, तो उन्हें अपना बचाव खुद ही करना होगा।

‘कांग्रेस विधायक बोले, जब से पुलिस कमिश्नरेट बना है, अपराधों की संख्या भी बढ़ी है’

विधायक वेद पाल सोलंकी ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर हो रही जन सुनवाई में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाया

जयपुर, 25 जुलाई (का.प्र.)। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि जब से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट बना है, तब से अपराधों में वृद्धि हुई है। खासतौर पर जयपुर ग्रामीण के जितने भी थाने हैं, उनमें अपराधियों का बोलबाला बढ़ा है। ऐसे में जयपुर ग्रामीण के सभी थानों को जयपुर कमिश्नरेट से हटाकर एसी के हवाले कर देना चाहिए ताकि ज्यादा मानिट्रिंग हो पाए।

सोलंकी ने कहा कि जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद से चोरियों का प्राफ तेजी से बढ़ा है। उन्होंने खुद के विधानसभा क्षेत्र के 2 थानों चाकसू और कोटखावदा को लेकर कहा कि "दोनों ही क्षेत्रों में नाकारा-निकम्मे पुलिस वालों को लगा रखा है, जो बजरी माफिया और भू माफियाओं से मिलकर उनके काम कर रहे हैं। ऐसे में अपराधों

को रोकने पर उनका कोई ध्यान नहीं है। सोलंकी ने यह भी कहा कि नाकारा निकम्मे पुलिस वालों को हटाकर कर्मठ पुलिस वालों को लगाना चाहिए। यह बात मैं विधानसभा में भी उठा चुका हूँ और फिर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा।"

दरअसल विधायक वेद सोलंकी उनके विधानसभा क्षेत्र से चोरी हुए एक बकरे को पुलिस वालों की ओर से 2000 रुपये में किसी और को बेचने के मामले में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर हो रही जनसुनवाई में क्षेत्रीय लोगों के साथ आए थे। जनसुनवाई में उन्होंने खेल मंत्री अशोक चांदना को बाकायदा सबूत के तौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी। इन्होंने जयपुर की कोटखावदा पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि यदि पुलिस ने इस तरह की वारदात की

जयपुर ग्रामीण के पुलिस थानों को कमिश्नरेट से हटाकर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में करने की मांग उठाई, जिससे ज्यादा मॉनिटरिंग हो पाये।

है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्यवाही होगी।

विधायक सोलंकी और ग्रामीणों ने जनसुनवाई में जापन देकर कहा कि 22 जुलाई को कोटखावदा थाने में बकरा-बकरी चोरी का केस दर्ज करवाया गया था। बकरी तो मिल गई, लेकिन बकरा पुलिसवालों ने मिलीभगत करके एक

व्यक्ति को बेच दिया। इसके पूरे सबूत हैं, जिस व्यक्ति के पास बकरा मिला, उसने साफ कहा कि यह बकरा उसे पुलिसवाले 2000 रुपये में बेचकर गए हैं। सोलंकी ने कहा पुलिस इतनी गिर गई कि बकरा बेचने लगी। हमारे मवेशी कहां सुरक्षित रहेंगे, जब रक्षक ही मशक बन जाएंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे यह शिकायत लेकर आना पड़ा। इस पूरी घटना के वीडियो सबूत तक हमने दिए हैं।

मंत्री अशोक चांदना ने इस पर कहा कि अफसरों के साथ नजरिए का टकराव है। यह आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव कुलदीप राक के साथ हुए टकराव के बाद मंत्री पद को जलालत धरा बताने वाले अशोक चांदना ने कहा मैंने एक अधिकारी के बारे में लिखा था। जनता की जो समस्याएं होती हैं, उनको एक ब्यूरोक्रेट अलग नजरिए से देखता

है। हम नेताओं को रोज जनसुनवाई करनी पड़ती है। हम उनकी समस्याओं को अलग नजरिए से देखते हैं। यह नजरिये का टकराव है, यह शुरू से चलता आया है। सरकार भले ही किसी की रही हो और यह आगे भी चलता रहेगा, यह कभी बंद नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन बाद दोबारा यह टकराव नहीं होगा।

चांदना ने कहा इश्यूज तो रोज नए आते हैं। जब नजरिया अलग होता है तो उसमें टकराव हो जाता है। नेताओं का देखने का नजरिया अलग होता है। हम जनता की नजर से देखते हैं। हम फलट हंड देखते हैं। हमारी परीक्षा हर 5 साल में होती है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से शिकायत दूर होने और उस समय उठाए मुद्दे के समाधान पर चांदना ने कहा कि पुराने मुद्दे पर दो से तीन बार जवाब दे चुका हूँ, उसमें वही बात है।

24 जजों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने सोमवार को चार न्यायिक अधिकारियों और 20 वकीलों को पदोन्नत कर पांच अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। शीर्ष अदालत द्वारा जारी अलग-अलग बयानों के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय के लिए छह, उड़ीसा उच्च

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने हाईकोर्ट्स के लिए 24 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

न्यायालय के लिए एक और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 13 वकीलों को पदोन्नत कर उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के दो-दो न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश बनाने का सुझाव दिया है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना का चुनाव चिन्ह विवाद

शिंदे खेमा शिव सेना के अधिकृत चुनाव चिन्ह तीर कमान पर दावा कर रहा है, इसके लिए उसने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है और उद्भव ठाकरे गुट ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है

नयी दिल्ली, 25 जुलाई (वार्ता) शिवसेना के चुनाव चिन्ह का विवाद अब उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य नेताओं की ओर से उन्हें बतौर असली शिवसेना की मान्यता देने संबंधी याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने आदेश देने की गुहार लगाई है।

शिवासेना के महासचिव सुभाष देसाई ने अपनी याचिका में बागी विधायकों (शिंदे खेमा) की अयोग्यता

शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा, बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

याचिका में कहा गया है कि शीर्ष न्यायालय के समक्ष 20 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से पेश वकील ने आव्रवासन दिया

था कि दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि शिंदे और अन्य ने कथित तौर पर चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के पैरा 15 के तहत असली

शिवसेना के रूप में मान्यता देने की चुनाव आयोग से मांग की है। शिंदे खेमा शिवसेना को आवंटित चुनाव चिन्ह "तीर कमान" का उपयोग करने के अधिकार का दावा कर रहा है। देसाई की याचिका में कहा गया है कि चूंकि विधानसभा के सदस्यों के रूप में अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर करने वाले व्यक्तियों की स्थिति वर्तमान में अनिश्चित है। यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए इन व्यक्तियों (शिंदे एवं उनके नेतृत्व में सरकार बनाने वाले बागी शिवसेना नेताओं) को विधायक नहीं माना जा सकता है।

पांच दिन बाद नए कोरोना संक्रमितों की संख्या दो सौ के नीचे आई राजस्थान में

प्रदेश में सोमवार को 187 नए संक्रमित मिले हैं, इससे पहले रविवार को 213 रोगी पाए गए थे

16, राजसमंद में 12, उदयपुर में 10, डूंगरपुर में 9, अलवर, बीकानेर व शिरडी में 6-6, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में 4-4, अजमेर, गंगानगर व प्रतापगढ़ में 3-3 और दौसा, कोटा तथा सीकर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 15 जिलों बांसवाड़ा, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सर्वाई माधोपुर और टोंक में कोई

राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 60 नए मरीज मिले हैं। राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस सोलह सौ के ऊपर पहुंच गए हैं।

राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 60 नए मरीज मिले हैं। राज्य में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस सोलह सौ के ऊपर पहुंच गए हैं।

बीमारी से 9577 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर में सोमवार को सबसे ज्यादा 9 संक्रमित सांगनेर इलाके में मिले हैं। इसके अलावा दुर्गापुरा, मालवीय नगर, सी-स्कॉम विद्याधर नगर में 5-5, अजमेर रोड, जवाहर नगर व वैशाली नगर में 4-4, जगतपुरा व सोडाला में 3-3 तथा बापू नगर, बस्सी, चौड़ा रास्ता, सीवल लाईंस, गांधी नगर, लूणियावास, महेश नगर, मानसरोवर और तिलक नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 5 मरीजों के पते गलते मिलने पर उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जिले में पिछले चौबीस घंटों में 43 मरीज रिकवरी हुए हैं।